न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 11/2016

(आर सी एम एस नम्बरः— 2016/00003)

उनवान प्रकरण

नरेश कुमार उम्र करीव 39 वर्ष पुत्र श्री रामभरोसी जाति धोबी निवासी ग्राम मांगरौल तहसील व जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

1—राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार धौलपुर
2—अमरजीत पुत्र स्व0 श्री धांधू जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल हाल आवाद ग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3—मुस0 काजल पुत्री श्री अमरजीत पत्नी कोमलसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम घुघरई तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
4—राजू पुत्र स्व0 धांधू जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल तहसील व जिला धौलपुर
5—मुस0 कलावती पुत्री स्व0 धांधू पत्नी श्री कप्तानसिंह जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरौल हाल निवासी ग्राम तगावली तहसील व जिला धौलपुर
6—श्रीमती राजेश्वरी पत्नी श्री मुन्नालाल । जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम मांगरौल
7—श्रीमती शीलादेवी पत्नी श्री महेशचन्द । तहसील व जिला धौलपुर
.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं02785 आदेश दिनांक 16.06.2015 बॉके ग्राम मांगरौल द्वारा नायव तहसीलदार मंनिया

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :—श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 2 व 3 की ओर से :—श्री लाखनसिंह गुर्जर एडवोकेट
रेस्पो0सं0 6 व 7 की ओर से :—श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 30.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 450,451,1086,2287 बांके ग्राम मांगरौल उप तहसील मंनिया में रैस्पो0संख्या—2 अमरजीत 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार रहा तथा वर्तमान में 6/25 भाग का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

खातेदार है। खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा में निहित अपने हिस्से 1/5 भाग में से 2/3 भाग को दिनांक 8.11.2013 को अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय कर दिया कब्जा व दखल उसी दिन करा दिया और तभी से अपीलान्ट अपने हिस्से 1/5 भाग में से 2/3 भाग पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट ने अपने वयनामा को हल्का पटवारी को नामान्तकरण खोले जाने हेतु दे दिया था किन्तु हल्का पटवारी ने अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला तथा अर्सा करीव एक माह पूर्व अपीलान्ट ने तहसील जाकर जानकारी एवं नकूलात प्राप्त की तब अपीलान्ट को जानकारी हुई कि श्री अमरजीत ने अपनी समस्त आराजीयात के साथ–साथ आराजी खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा में निहित अपने हिस्सा 6/25 संपूर्ण भाग का जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र से दिनांक 4.3.2015 को अपनी पुत्री मुस0 काजल पुत्री अमरजीत रैस्पो0 संख्या–3 के नाम कर दिया और रैस्पो0संख्या–3 ने अपना नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 2785 दिनांक 16.5.2015 से राजस्व रिकार्ड में अंकित करा लिया। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड में रैस्पो0संख्या–03 के नाम हो रहे अंकन को शुद्व कराने का निवेदन करने के बावजूद भी रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा इन्कार करने से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपनी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि जब रैस्पोडेन्ट संख्या–2 ने आराजी खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा में निहित अपने हिस्से 1/5 भाग में से 2/3 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीखी 8.11.2013 को अपने हक व अधिकारों को अपीलान्ट के पक्ष में अन्तरित कर दिया एवं कब्जा व दखल अपीलान्ट का मौके पर करा दिया तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अपने क्रय सुदा हिस्से पर स्वतः खातेदार काश्तकार हो जाता है और रैस्पो0सं02 के हक व अधिकार जितने हिस्से का विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में किया है उतने हिस्से तक उसके हक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है। ऐसी स्थिति में जब रैस्पोडेन्ट संख्या–2 को अपने हक व अधिकारों का अन्तरण अपनी पुत्री के पक्ष में दानपत्र दिनांक 4.3.2015 को पंजीबद्व करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं होने के बावजूद उक्त दानपत्र पंजीबद्व किया है उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 2785 तस्दीक किया है जो कि विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रैस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 8.11.2013 करने के पश्चात किया गया रजिस्टर्ड दानपत्र एक पश्चातवर्ती दस्तावेज है जिसके आधार पर रैस्पो0संख्या–3 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रैस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 2785 तारीखी 16.6.2015 किस कैरिज ऑफ जस्टिस ऑफ लॉ एवं इललीगल इम्प्रोपर व परवर्स होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत है फिर भी प्रा0पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरणसंख्या 2785 दि0 16.6.2015 बावत खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वयनामा तारीखी 8.11.2013 के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में नकल नामान्तकरण संख्या 2785 दिनांक 16.6.2015,नकल जमाबन्दी खाता संख्या–40 ग्राम मांगरौल, फोटो प्रति वयनामा तारीखी

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

8.11.2013 वहक नरेश कुमार, फोटोप्रति दानपत्र तारीखी 4.3.2015 द्वारा अमरजीत एवं न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश धौलपुर मु0न0 153/2017 उनवानी प्रकरण नरेश कुमार बनाम काजल आदेशिक दिनांक 15.9.2017, राजीनामा दिनांक 15.9.2017 तथा प्रमाणित प्रति डिक्री दिनांक 15.9.2017 पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 की ओर से श्री लाखनसिंह गुर्जर एडवोकेट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से श्री अशो सक्सैना एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि रैस्पोडेन्ट संख्या–2 ने आराजी खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा में निहित अपने हिस्से 1/5 भाग में से 2/3 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीखी 8.11.2013 को अपने हक व अधिकारों को अपीलान्ट के पक्ष में अन्तरित कर दिया एवं कब्जा व दखल अपीलान्ट का मौके पर करा दिया तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अपने क्रय सुदा हिस्से पर स्वतः खातेदार काश्तकार हो जाता है और रैस्पो0सं02 के हक व अधिकार जितने हिस्से का विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में किया है उतने हिस्से तक उसके हक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है। ऐसी स्थिति में जब रैस्पोडेन्ट संख्या–2 को अपने हक व अधिकारों का अन्तरण अपनी पुत्री के पक्ष में दानपत्र दिनांक 4.3.2015 को पंजीबद्व करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं होने के बावजूद उक्त दानपत्र पंजीबद्व किया है उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 2785 तस्दीक किया है जो कि विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रैस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 8.11.2013 करने के पश्चात किया गया रजिस्टर्ड दानपत्र एक पश्चातवर्ती दस्तावेज है जिसके आधार पर रैस्पो0संख्या–3 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रैस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 2785 तारीखी 16.6.2015 किस कैरिज ऑफ जस्टिस ऑफ लॉ एवं इललीगल इम्प्रोपर व परवर्स होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश धौलपुर में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 153/2017 उनवानी नरेश कुमार बनाम काजल वगैरा मुताविक राजीनामा दिनांक 15.9.2017 डिक्री किया जा चुका है जिसमें काजल के पक्ष में श्री अमरजीत द्वारा किये गये दानपत्र में से अपीलान्ट नरेश के हिस्से तक उक्त दानपत्र को मुताविक राजीनामा निरस्त किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरणसंख्या 2785 दि0 16.6.2015 बावत खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वयनामा तारीखी 8.11.2013 के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील का कोई विरोध नहीं किया और ना ही रेस्पोडेन्ट की ओर से विरोघ में कोई दस्तावेज पेश किये। दौरान्रे वहस कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि रैस्पोडेन्ट संख्या–2 अमरजीत ने आराजी खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा में निहित अपने हिस्से 1/5 भाग में से 2/3 भाग को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीखी 8.11.2013 को अपने हक व अधिकारों को अपीलान्ट के पक्ष में अन्तरित कर दिया एवं कब्जा व दखल अपीलान्ट का मौके पर करा दिया।

रैस्पो0सं02 अमरजीत के हक व अधिकार जितने हिस्से का विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में किया है उतने हिस्से तक उसके हक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है। ऐसी स्थिति में जब रैस्पोडेन्ट संख्या–2 को अपने हक व अधिकारों का अन्तरण अपनी पुत्री के पक्ष में दानपत्र दिनांक 4.3.2015 को पंजीबद्व करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं होने के बावजूद उक्त दानपत्र पंजीबद्व किया है उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 2785 तस्दीक किया है जो कि विधि विरूद्व है। रैस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 8.11.2013 करने के पश्चात किया गया रजिस्टर्ड दानपत्र एक पश्चातवर्ती दस्तावेज है जिसके आधार पर रैस्पो0संख्या–3 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश धौलपुर में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 153/2017 उनवानी नरेश कुमार बनाम काजल वगैरा मुताविक राजीनामा दिनांक 15.9.2017 डिक्री किया जा चुका है जिसमें काजल के पक्ष में श्री अमरजीत द्वारा किये गये दानपत्र में से अपीलान्ट नरेश के हिस्से तक उक्त दानपत्र को मुताविक राजीनामा निरस्त किया जा चुका है। अीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2785 दिनांक 16.6.2015 ग्राम मांगरौल द्वारा नायव तहसीलदार मंनिया बावत आराजी खसरा नम्बर 450 रकवा 07 विस्वा निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वयनामा तारीखी 8.11.2013 के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति नायव तहसीलदार मनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner